न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 76/2022 दायरा दिनांक : 07.06.2022

उनवान

1– श्याम लाल आत्मज रामचन्द्र

2– कमलेश कुमार आत्मज रामचन्द्र

जाति महाजन, निवासी गुराडिया, तहसील सुसनेर मध्यप्रदेश

3– आयुषी पालीवाल नाबालिग पुत्री मृतक लता एवं प्रवीण कुमार पालीवाल वली जरिये पिता स्वयं निवासी 436 आराधना नगर एयर पोर्ट रोड़ इन्दौर मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1– हुकम चन्द आत्मज रामदयाल

2– रमेश चन्द्र आत्मज रामदयाल

3– सुरेश कुमार आत्मज रामदयाल

जाति महाजन, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 3 की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.09.2023

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 54/2022/प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय दिनांक 16.05.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2– अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व निर्णय दिनांक 16.05.2022 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ में वर्तमान खाता संख्या 995 का खसरा नम्बर 452 रकबा 0.2782 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 1.1888 हेक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.4670 हेक्टर एवं खाता संख्या 1077 का खसरा नम्बर 454 रकबा 0.4679 हेक्टर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.2023 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.3415 हेक्टर, खसरा नम्बर 474 रकबा 1.1002 हेक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.0632 हेक्टर किता 5 कुल रकबा 2.1751 हेक्टर जो वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीयक्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण की है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद तक ग्राम रायपुर की जमाबंदी संख्या 2073–76 के खाता संख्या 995 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 1.4676 हेक्टर, खसरा संख्या 1077 की वादग्रस्त आराजी किता 5 रकबा 2.1751 हेक्टयर भूमि का रहन, बय, बेचान, हस्तानान्तरण नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी नहीं करें।

3– अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अकारण ही रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 का धारा 212 आर. टी. ए. का प्रार्थना पत्र अकारण ही स्वीकार करके कानूनी भूल की है।

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4– ग्राम रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 998 की 2 किता की 1.4670 हेक्टर आराजी एवं खाता संख्या 1077 की 5 किता की 2.1751 हेक्टर भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 के शामलाती खाते की वर्तमान की भूमि है।

5– उपरोक्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें पूर्व से ही अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के बुजुर्गों का 1/2, 1/2 हिस्से पर शुरू से ही खाता एवं कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में भी है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट शामलाती खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा अपने अधिकारों से परे जाकर पारित करके कानूनी भूल की है। जबकि विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी परिस्थितियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

6– अधीनस्थ न्यायालय को धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र निर्णित करते समय प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति के कानूनी बिन्दुओं पर अपना निर्णय पारित करना चाहिए था। जो कि उनके द्वारा पारित नहीं किया गया है और अपने अधिकारों से परे जाकर अन्य बिन्दुओं पर निर्णय पारित किया गया है जिसका कि कोई न्यायोचित आधार नहीं है। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

7– धारा 212 आर टी एक्ट के प्रार्थना पत्र में हक व टाईटल का निर्धारण नहीं होता है बल्कि नियमित वाद में पक्षकारों की शहादत लेखबद्ध करके तत्पश्चात् बहस सुनकर तय किया जाता है। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कतई ध्यान नहीं देकर अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है।

8– यहां यह भी लिखना न्यायोचित होगा कि तथाकथित गोद पुत्र एवं तथाकथित इकरारनामें जिस पर कि अपीलांट के पिता के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं इससे सम्बन्धित बिन्दुओं का धारा 212 में कानूनन निर्धारण नहीं होता है। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर कानूनी भूल की है क्योंकि उक्त बिन्दु पक्षकारों की शहादत लेकर वाद में कानूनी तनकी बनाकर एवं पक्षकारों की शहादत ली जाकर तय किये जाते हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं फरमाकर अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 का अन्तर्गत धारा 212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कानूनी भूल की है।

9– अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य–नजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.05.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

10– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र एवं मूल बहस पर बहस उभयपक्षीय अभिभाषकगण सुनी गई ।

11– अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार विधि संहिता बाबत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने हेतु दिनांक 14.11.2022, 01.05.2023 व 04.09.2023 को पेश किये। अभिभाषक अपीलांट्स की ओर से जवाब बहस प्रार्थना पत्र से दिनांक 09.05.2023, 05.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।

12– आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त दस्तावेजात वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेंट एवं प्रतिवादी/अपीलांट के स्वामित्व के संदर्भ में गोद (दत्तक) की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। वादग्रस्त आराजी में गोद (दत्तक) की स्थिति को निर्णित करने का प्रश्न मुख्य वाद का विषय है, जिसे मुख्य वाद के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करके, वादी व प्रतिवादी की शहादत लेखबद्ध करके, उभयपक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात् निर्णित किया जाना है। आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में जैरकार मूल वाद में पेश किये जाने हेतु रेस्पोडेंट स्वतंत्र हैं।

13– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मौखिक एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि ग्राम रायपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान में खाता संख्या नया 995 के 2 किता की 1.4670 हेक्टर एवं खाता संख्या नया की 1077 की 5 किता की 2.1751 हेक्टर आराजी स्थित है, जो अपीलांट्स (प्रतिपक्षीगण) एवं रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के शामलाती खाते में दर्ज है और दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स/प्रतिपक्षीगण सहखातेदार होने के बावजूद भी उनके विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी नहीं की जा सकती है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करके कानूनी भूल की है इस कारण से योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

दीप्ति रामचन्द्र मीना
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14– अधीनस्थ न्यायालय का उक्त प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर कानूनन केवल मात्र तीन बिन्दु प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति पर ही अपना निर्णय पारित करना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तीनों कानूनी बिन्दुओं की अनदेखी करते हुए एवं अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर तरह से निरस्त होने योग्य है।

15– अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कानूनन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकारों के हक एवं अधिकारों का निर्णय पारित नहीं किया जाता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कानूनी भूल की है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

16– यहां यह लिखना अति–आवश्यक होगा कि मूल वाद में हक एवं अधिकारों का निर्णय पक्षकारों की शहादत लेकर और उसके पश्चात् बहस अंतिम सुनकर निर्णय पारित किया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कानूनी भूल की है, जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है।

17– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के द्वारा अपने उक्त प्रकरण में गोदनामा एवं इकरारनामे की 2 प्लीडिंग एक साथ ली है, जो कि कानूनन एक साथ नहीं ली जा सकती, क्योंकि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना चाहिए था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कानूनी त्रुटि की है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

18– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 व 6 में उनके द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी से 60 वर्षों से अधिक का अपना कब्जा होना बताया है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगणों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 60 वर्षों की निरन्तर खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करना चाहिए था, जिसमें कि कब्जा दर्ज किया जाता है, परन्तु रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज कब्जे बाबत प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कानूनी गलती की है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

19– रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगणों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गोदपुत्र संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा कोई गोद संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये ऐसी स्थिति में गोद मानने का कानूनन प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कानूनी भूल की है। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरें पेश की :–

1– आर आर डी 1978 पेज 377 से 338
2– आर आर डी 2008 पेज 762 से 765
3– आर आर टी 2016 (1) पेज 113 से 117
4– आर आर डी 2020 पेज 88 से 91
5– आर आर डी 2018 पेज 23 से 28
6– आर. एल. डब्ल्यू 2021 (2) पेज 1484 से 1497
7– आर आर डी 1990 पेज 419 से 422
8– आर आर डी 1996 पेज 148 से 153

20– अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य–नजर रखते हुए अपील, अपीलांट्स/प्रतिपक्षीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 16.05.2022 को निरस्त फरमाया जावे और रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त फरमाया जावे ।

21– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने मौखिक एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया किया कि वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 अपीलांट्स एवं प्रतिवादी नम्बर 4 राजस्थान सरकार के विरूद्ध ग्राम रायपुर, तहसील रायपुर जिला झालावाड़ की खाता नं. 995 की 2 किता की 1.4670 हेक्टर एवं खाता संख्या 1077 की 5 किता की 2.1751 हेक्टर कृषि आराजियात के सम्बन्ध में धारा 88, 188 एवं 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

22– अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वाद विषयक कृषि आराजियात, प्रार्थना पत्र विषयक, अपील विषयक उपरोक्त कृषि आराजियात के संबंध में अप्रार्थीगण प्रतिवादी अपीलांट्स को ताफैसला मूल वाद तक ग्राम रायपुर की उपरोक्त कृषि आराजियात बाबत जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने हेतु इस आशय

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सहायक अपील प्राधिकारी, कोटा

का आदेश पारित किया है कि प्रतिवादीगण अपीलांट्स उपरोक्त भूमि को रहन बेचान हस्तान्तरण नहीं करें एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें।

23– वादी रेस्पोडेंट की मुख्य बहस है कि उपरोक्त अपील विषयक आराजियात पूर्व में नाथूलाल एवं द्वारकालाल के शामलाती खाते में दर्ज थी। उपरोक्त दोनों व्यक्ति रामलाल के पुत्र थे। नाथूलाल व द्वारकालाल दोनों की मृत्यु हो चुकी है। नाथूलाल का पुत्र रामदयाल है एवं द्वारकालाल का पुत्र नारायण है। रामदयाल एवं नारायण की भी मृत्यु हो चुकी है। रामदयाल के पुत्र वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 कमशः हुकम चन्द, रमेश चन्द व सुरेश कुमार है। नारायण का पुत्र रामचन्द्र था एवं एक पुत्री रामीबाई थी। नारायण ने अपने जीवनकाल में उसके पुत्र रामचन्द्र का बचपन में ही राधाकिशन निवासी गुराडिया को गोद दे दिया था। रामचन्द्र का अपील विषयक आराजियात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। रामचन्द्र के गोद पिता राधाकिशन जी की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते व कब्जे की ग्राम गुरायता, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर की कृषि भूमि रामचन्द्र के खाते में राधाकिशन जी का गोद पुत्र होने से दर्ज की गई थी तथा रामचन्द्र जी की मृत्यु होने पर प्रतिवादीगण अपीलांट्स के खाते दर्ज की गई है। रामचन्द्र जी ने गोद चले जाने के उपरान्त उपरोक्त भूमि में से अपना हक छोड़ दिया था। रामचन्द्र के गोद जाने के उपरान्त से वादीगण रेस्पोडेंट सम्पूर्ण अपील विषयक आराजियात पर तन्हा रूप से काबिज चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी काबिज है।

24– रामचन्द्र ने अपने जीवनकाल में ग्राम रायपुर की उपरोक्त आराजियात बाबत कभी कोई कार्यवाही नहीं की थी। रामचन्द्र का एवं प्रतिवादीगण अपीलांट्स का ग्राम रायपुर की उपरोक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। रामचन्द्र ने सन् 1951 से निरन्तर ग्राम गुराडिया, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर अपने जीवन पर्यन्त निवास किया था। प्रतिवादीगण अपीलांट्स नम्बर 1 व 2 अपने जन्म के समय से ही ग्राम गुराडिया, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर हाल जिला आगर निवास कर रहे हैं। रामचन्द्र व प्रतिवादीगण अपीलांट्स का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में ग्राम रायपुर, तहसील रायपुर की उपरोक्त कृषि आराजियात पर नारायण की मृत्यु हो जाने के बाद रामचन्द्र का एवं रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादीगण अपीलांट्स का नाम सर्वथा गलत गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है, जो काबिले दुरूस्ती है। रामचन्द्र व प्रतिवादीगण अपीलांट्स के उपरोक्त अपील विषयक आराजियात पर समस्त हक हकूक समाप्त हो चुके हैं एवं वर्तमान में विद्यमान नहीं है। वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का प्रथम दृष्टया प्रकरण है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीयक्षति का बिन्दु भी उनके पक्ष में प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में है। प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में है। प्रतिवादीगण अपीलांट्स गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर उपरोक्त भूमि रहन, बेचान एवं अन्य प्रकरण से अन्तरित करने को तत्पर है एवं वादीगण रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर आमादा है।

25– उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रतिवादीगण अपीलांटान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश ताफैसला दावा सही रूप से पारित किया गया है, जिसको कायम रखा जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। अपील वच वाद की विषयक वस्तु की सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित व विधि संगत है। रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीर पेश की :–

1– 2013 (1) आर. आर. टी. पेज 515
2– 2021 (2) आर. आर. टी. पेज 1464
3– 1981 आर. आर. डी. पेज 17
4– 1956 आर. एल. डब्ल्यू. पेज 18
5– ए. आई. आर. 2003 एन.यू.सी. पेज 50 (ए.पी.)

26– अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स खारिज फरमायी जावे।

27– हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय, इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ।

28– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने तथा बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में विवाद के दो बिन्दु निहित हैं –

(1) अपीलांट के पिता/दादा का अन्यत्र गोद जाना ।

(2) विवादित आराजी पर अपीलांट एवं उनके पिता/दादा का 60 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा नहीं होना।

29– रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि प्रार्थीगण पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से विवादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कब्जे की पुष्टि करने वाले कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे विवादित

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील प्राधिकारी, कोटा

सम्पूर्ण आराजी पर 60 वर्षों से भी अधिक समय से रेस्पोडेंट/वादी के कब्जे की पुष्टि हो। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेंट के कथन को ही कब्जे की पुष्टि मानकर कानूनी भूल की है। साथ ही वादी/रेस्पोडेंट का यह कहना कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थी/अपीलांट नम्बर 1 व 2 के दादा एवं अप्रार्थी नम्बर 3 के परनाना नारायण लाल जी, राधाकिशन जी, निवासी गुराडिया, तहसील सुसनेर, जिला शाहजापुर हाल जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश के यहां गोद चले गये थे इसलिए अप्रार्थीगण/अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी में कोई हक निहित नहीं है। यह कथन धारा 212 के प्रार्थना पत्र का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वादग्रस्त आराजी में गोद की स्थिति को निर्णित करने का प्रश्न मुख्य वाद का विषय है, जिसे मुख्य वाद के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करके, वादी व प्रतिवादी की शहादत लेखबद्ध करके तथा बहस उभयपक्षकारान सुनने के पश्चात् निर्णित किया जाना है। धारा 212 के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। स्थिति यह है कि अपीलांट एक सह–खातेदार एवं विवादित आराजी अविभाजित खाते की संयुक्त भूमि है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार पक्षकारान सहखातेदार है। वादी/रेस्पोडेंट ने प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध धारा 212 के प्रार्थना पत्र के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे व गोद के आधार पर स्वीकार किया है जबकि यह दोनों ही प्रश्न मुख्य वाद के दौरान निर्णित किये जाने हैं। इन दोनों प्रश्नों के निर्णित होने से पूर्व ही एक सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी चूक की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा, जिला झालावाड़ राजस्थान का निर्णय दिनांक 16.05.2022 धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

30– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 खारिज किया जाता है ।

31– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/09/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा